POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983)

ग्रा.ग./2013/अंक 05

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2013

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) सरकारी योजनाओं और उनकी क्रियान्वयन की जांच करता है। वह योजना के क्रियान्वयन में रही कमियों पर एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे सुझावों के साथ सरकार को सौंपता है।

'कैग' की इन रिपोर्टों से कई संगीन भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते हैं। सरकार अपनी कमियों को छिपाने के मकसद से उन्हें गलत ठहराने का प्रयास करती है। लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है।

इसी तरह प्रदेश में मजदूरों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर कैग ने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट से यह सामने आया कि मजदूरों की आर्थिक मदद के लिए जितनी राशि मंजूर हुई उसका केवल 8 फीसदी ही खर्च हुआ। क्योंकि, योजनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं होने से मजदूरों तक जानकारी ही नहीं पहुंच पाई।

क्या यह रिपोर्ट सरकारी योजनाओं की लचर क्रियान्विति को उजागर नहीं करती ? सरकार राशि आवंटित करे और वह राशि खर्च ही नहीं हो तो क्या कहा जाएगा ? क्या ऐसी योजनाओं के विफल रहने पर सरकार और अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं बनती?

योजनाओं को सही समय पर अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की होती है। इसी के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है। जिम्मेदारी में विफल रहने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार में भी इच्छाशक्ति की कमी है, जिससे उन्हें कोई सबक तक नहीं मिलता।

'आधार' कार्ड देगा आपको कई तरह की सुविधाएं

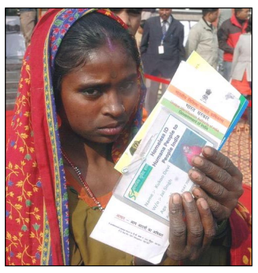

'आधार' कार्ड 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है। शुरुआत में सरकार ने कहा था कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे यह सरकारी सेवाओं में अनिवार्य हो रहा है। सरकारी विभागों में अब यह आपके एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है।

आधार का मुख्य उद्देश्य सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली राहतों को वास्तविक हकदारों तक पहुंचाना है। रसोई गैस को अब आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे निर्धारित नौ सिलेण्डरों तक सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचेगी और इससे ज्यादा सिलेण्डरों पर अतिरिक्त खर्च करना होगा।

अब पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाता खुलवाने, रेलवे व हवाई यात्रा के टिकट बनवाने में इस कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा। कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी यह जरूरी दस्तावेज है। स्कूल-कॉलेजों में छात्रों को दी जाने वाली स्कालरशिप, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं को भी आधार से जोड़ा जा रहा है।

कुछ अन्य राज्य भी इन्हें जोड़ने की तैयारी में है। केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन ने एक मार्च 2013 के बाद बनने वाले सभी सदस्यों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। आगे चलकर आधार कार्ड आपको कई प्रकार की सहुलियतें देगा। अतः आप अपना आधार कार्ड अवश्य बनवाएं।

भारी पड़ा बिजली कनेक्शन देने में किसान से धोखाधड़ी करना

सवाई माधोपुर के गांव खण्डार निवासी मूल चन्द बैरवा ने उपभोक्ता मंच में जयपुर विद्युत वितरण निगम के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि करीब 5-6 साल पहले उसने अपने खेत पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। जुलाई 2010 में डिमाण्ड नोटिस मिलने पर उसने 30 हजार 730 रुपए जमा करा दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब निगम ने बिना कनेक्शन दिए उसे 2991 रुपए का विद्युत बिल भिजवाया। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी करने पर पता चला कि उसके नाम का विद्युत कनेक्शन बसोउ गांव के किसान गजानन्द के खेत पर लगा दिया गया था।

मामले की जांच और सुनवाई पर सामने आया कि बैरवा के खेत पर कनेक्शन तो दूर, बिजली की लाइन तक नहीं खेंची गई थी। उसके नाम का मीटर अन्य किसान के लगाना न केवल लापरवाही बल्कि गरीब किसान के साथ किया गया सरासर कपट और धोखा है।

मंच ने विद्युत वितरण निगम को आदेश दिया कि वह मूल चन्द के खेत पर एक माह में विद्युत कनेक्शन लगाए। साथ ही जिस अधिकारी या कर्मचारी ने यह लापरवाही की है उसके वेतन से एक लाख रुपए के हर्जाने की कटौती की जाए। उसमें से 25 हजार रुपए मूलचन्द को हर्जाने के रूप में अदा करें तथा शेष राशि 75 हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराएं। मामले की पैरवी हरिप्रसाद योगी, सचिव, कन्ज्यूमर लीगल हैल्प सोसायटी ने की।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा

ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से आरम्भ 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रति वर्ष 13 अप्रेल के दिन घोषित किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है। ये पत्रकार चाहे स्वतन्त्र रूप से पत्रकारिता करते हों, या फिर किसी समाचार पत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं।

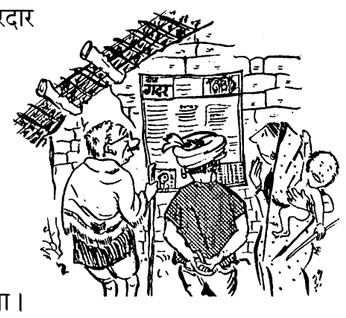

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2012 में उल्लेखनीय लेखन प्रकाशित करने वाले पत्रकारों से 'महिलाओं के प्रति हिंसा व उनकी सुरक्षा' विषय पर प्रविष्ठियां आमन्त्रित की गई थी। प्राप्त प्रविष्ठियों में से श्रेष्ठ चयन के लिए ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा की अगुवाई में निर्णायक मंडल का गठन किया गया।

निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से झुंझुनूं जिले के पत्रकार चन्द्रमौलि पचरंगिया को वर्ष 2012 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। श्री पचरंगिया को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

चन्द्रमौलि पचरंगिया झुंझुनूं जिले के चिड़ावा के मूल निवासी हैं तथा बतौर नियमित संवाददाता, दैनिक अंबर के लिए अपने लेख लिखते हैं, जो कि जनहित के मुद्दों से सीधे जुड़े हुए होते हैं।

बजट घोषणा पर उठे सवाल

राज्य सरकार ने 2012-13 में मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को 2100 रुपए स्वरोजगार के लिए देने का प्रावधान किया है।

लोगों ने इस प्रावधान पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि यह प्रावधान सिर्फ एक साल के लिए ही क्यों रखा गया है। क्या सरकार चुनाव में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। प्रश्न यह भी है कि 2100 रुपए में कोई स्वरोजगार नहीं हो सकता।

सरकार की ओर से अब कहा जा रहा है कि यह राशि फावड़ा-गैंती खरीदने के लिए दी जा रही है। यह बात भी इसलिए सही नहीं है कि इसके लिए अलग से फंड होता है। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे का कहना है कि ऐसा था तो घोषणा में यह बात साफ कहनी चाहिए थी।

बेटी पैदा होने पर ग्रामीण लगाते हैं पेड़

बेटियों की कम होती तादात और भ्रूण हत्या की खबरों के बीच प्रदेश के राजसमंद जिले का पिपलांत्री एक ऐसा गांव है जहां गांव के लोग बेटी पैदा होने पर अनोखा उत्सव मनाते हैं। बेटी की खुशी में यहां एक सौ ग्यारह पेड़ लगाने का रिवाज है। यह खास नियम ग्राम पंचायत द्वारा छह साल पहले लागू किया गया था। जो आज एक रिवाज बन चुका है। इन छह सालों में गांव में 2 लाख 52 हजार पेड़ लगाए जा चुके हैं।

बड़ी तादाद में पेड़ पौधे होने से यहां रोजगार के अवसर बढ़े हैं। गांव में एलोवेरा (ग्वारपाठा) के 25 लाख पौधे भी लगे हैं। एलोवेरा से ज्यूस, क्रीम, जैल और आचार आदि बनाए जाते हैं, जो कई परिवारों की रोजी रोटी का साधन है। रोजगार के लिए ऋण भी दिए जा रहे हैं। इससे गांव तेजी से विकास की ओर बढ़ता जा रहा है।

सेवा केन्द्रों पर होगी जन सुनवाई

राजस्थान सुनवाई का अधिकार कानून के तहत अब राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर हर शुक्रवार को दोपहर 12 से 3 बजे तक जन सुनवाई की जाएगी। इसके लिए सभी केन्द्रों पर सुनवाई सहायता केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। आमजन से शिकायतें लेने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू होगी।

इसके तहत सुनवाई सहायता केन्द्रों पर कोई भी व्यक्ति सुबह 10 से 12 बजे तक शिकायत या आवेदन दे सकता है। यह शिकायत सादा कागज पर भी दी जा सकती है। यहां कर्मचारी कोई भी शिकायत लेने से मना नहीं कर सकता। शिकायत प्राप्ति की रसीद भी दी जाएगी। जन सुनवाई के समय संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। जानकारी के लिए सेवा केन्द्र के बाहर एक सूचना पट्ट लगाया जाएगा।

किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

इस साल खरीफ में राज्य के काश्तकारों के लिए सहकारी संस्थाएं 10 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित करेगी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने यह घोषणा करते हुए बताया कि चार साल पहले राज्य में किसानों को करीब 2500 करोड़ रुपए के फसली ऋण दिए जाते थे। इन्हें बढ़ाकर अब 11 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया है।

किसानों की फसली ऋण वितरण की अधिकतम सीमा को इस साल डेढ़ लाख रुपए कर दिया गया है। पिछले साल यह एक लाख रुपए थी। उन्होंने कहा कि किसानों को ब्याजमुक्त फसली सहकारी ऋण वितरण के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।

बेटी जन्मी तो मिलेंगे आठ हजार

प्रदेश में बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने और मातृ मृत्यु दर कम करने के मकसद से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना शुरू हो गई है। इसके तहत बेटी के जन्म के साथ ही अगले पांच साल तक माता-पिता को 7300 रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 2100 रुपए का चैक जन्म पर दिया जाएगा।

बालिका की उम्र एक साल होने और सभी टीके लगवाने पर 2100 रुपए दिए जाएंगे। बालिका की आयु 5 साल होने और स्कूल में प्रवेश की स्थिति में मां को 3100 रुपए का चैक मिलेगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए व शहरी प्रसूताओं को 1000 रुपए पूर्व की तरह अलग से यथावत मिलते रहेंगे।

प्रदेश में मिनी एटीएम की शुरुआत

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम मशीन लगाने में आ रही समस्या और इस पर होने वाले भारी-भरकम खर्च से बचने के लिए बैंक मिनी एटीएम को विकल्प के रूप में अपनाने लगे हैं। एसबीबीजे

देश में इसकी पहली शुरुआत राज्य के अजमेर, अलवर और उदयपुर से कर रहा है। इन जिलों में एटीएम मशीन से वंचित शाखाओं में 42 मिनी एटीएम लगेंगे। बैंक की पहले चरण में 500 मिनी एटीएम लगाने की योजना है।

मिनी एटीएम मशीन बैंक में कैशियर की केबिन के पास लगेगी। यहां खाताधारक को स्वेप मशीन की तर्ज पर एटीएम कार्ड को स्वीप करना होगा। इसके बाद ग्राहक पिन नंबर दर्ज कर राशि जमा करा सकेगा या निकाल सकेगा। इस सेवा का उद्धेश्य पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देना और न्यूनतम समय में ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराना है। लेनदेन के बाद मशीन रिकार्ड के लिए ग्राहक को रसीद भी देगी।

ग्राम सभाओं में बढ़ी भागीदारी

जैसे-जैसे हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे कुरीतियों की पारम्परिक बेड़ियां भी स्वतः टूटती जा रही हैं। आज महिलाएं अपने हकों के लिए आवाज उठाने लगी हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आवाज उठाने की ताकत दी है। महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हुई हैं इससे उन्हें अब अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता।

ग्राम सभाओं में भी अब लोगों की भागीदारी बढ़ी है तथा ग्रामीणों के विचारों व निर्णयों को महत्व दिया जाने लगा है। हालांकि अभी तक इस तरह की जागरूकता का स्तर कम है, परन्तु बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब गांव वाले भी अपना हक मांगने में झिझकते नहीं हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम इस बदलाव को बल प्रदान करें।

- सीतादेवी, सरपंच, दाबीच (फागी)

लापरवाही ने किए करोड़ों रुपए बेकार

मनरेगा में प्रदेश के गांवों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण में बरती लापरवाही ने करोड़ों रुपए बेकार कर दिए हैं। अब विश्व बैंक से मिलने वाले उधार के पैसे से नए सिरे से इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मनरेगा के तहत ग्रेवल तक सड़क का निर्माण किया गया है। इस पर

वर्ष 2008-09 से अब तक करीब 182 करोड़ रुपए खर्च कर 4038 किलोमीटर लम्बाई में सड़कें बनाई जा चुकी है।

मनरेगा के तहत सड़कों के लिए बिछाई मिट्टी की कुटाई निर्धारित मानकों के तहत किए बिना ही उन पर ग्रेवल डाल दी गई, इससे वाहनों के दबाव से जल्द ही सड़क धंस जाती है। धंसी सड़क पर पानी गिरने से वह पूरी तरह टूट जाती है। इसकी मरम्मत पर खर्च निर्माण से भी ज्यादा भारी पड़ता है। अब इन सड़कों को वापस उधेड़कर मिट्टी की कुटाई कर दोबारा ग्रेवल डालनी होगी।

मॉडल शॉप में मिलेगा सस्ता सामान

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खाद्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने सभी पंचायत मुख्यालयों पर मॉडल शॉप खोलने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन दुकानों पर बाजार के मुकाबले 20 फीसदी तक सस्ता सामान मिलेगा।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को कानून की जानकारी है तो उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कार्यक्रम में खाद्य-आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव ललित मेहरा ने बताया कि आज भी दो तिहाई लोग उपभोक्ता अधिकारों से वंचित हैं।

पंचायत राज कर्मियों की बल्ले-बल्ले

राज्य सरकार ने पंचायत राज के तहत कार्यरत करीब एक लाख शिक्षकों-कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष में खास सौगात दी है। इस बार सरकार ने इनके लिए वेतन, बोनस व समर्पित अवकाश, सेवा निवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान के लिए 21.71 अरब रुपए की राशि जारी कर दी है। वित्त वर्ष के शुरुआत में ही पूरा पैसा जारी होने से उन्हें समय पर भुगतान हो सकेगा।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कदूस' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485